संख्या:42/2018/3286/12-2-2018-34/2018

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय: केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों पर अनुमन्य अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप रबी 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/1546-टी/29-टी/कैबीनेट नोट/रबी/2018-19 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों पर अनुमन्य अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप रबी 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना एवं एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों को अनुदान पर वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। प्रदेश में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, यू0पी0एग्रो, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, कृभको, आई0एफ0एफ0डी0सी0, राष्ट्रीय बीज निगम तथा एग्रीजंक्शन/एफ0पी0ओ0 द्वारा कृषकों को अनुदान पर प्रमाणित/संकर बीजों का वितरण किया जाता है। कृषकों को केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण पर कृषकों के लिए अनुमन्य अनुदान में वृद्धि की गयी है, परन्तु रबी 2018-19 में बीज वितरण के लक्ष्य गत वर्ष के सापेक्ष कम कर दिये गये हैं। अत: इसके दृष्टिगत राज्य सेक्टर से अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि से अतिरिक्त बीज वितरण करने का लक्ष्य है ताकि विगत वर्षो में रखे गये लक्ष्यों के अनुरूप ही लक्ष्य रखे जा सकें जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक कृषकों को उन्नतशील प्रमाणित बीज प्राप्त हो सकेगा तथा उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अत: सम्यक विचारोपरान्त रबी 2018-19 में बीज ग्राम योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात धान्य फसलों में 25 प्रतिशत व दलहनी एवं तिलहनी फसलों में 15 प्रतिशत (अर्थात कुल अनुदान 75 प्रतिशत की सीमा तक) एवं समस्त फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के अनुदान के साथ 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान (अर्थात कुल 60 प्रतिशत तक का अनुदान) राज्य सरकार से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सेक्टर से अनुदानित बीजों पर सीधे 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा धान्य, दलहनी एवं तिलहनी फसलों हेतु निर्धारित अनुदान के समुचित उपयोग होने के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 में प्रदेश में रबी मौसम की विभिन्न फसलों के बीजों पर देय अनुदान की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी:-

(1) बीज ग्राम योजनान्तर्गत "बीज उत्पादन कार्यमद" में केन्द्र सरकार द्वारा धान्य फसलों में 50 प्रतिशत, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में 60 प्रतिशत तक का अनुदान बीज वितरण पर देय है। रबी 2018-19 में बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु धान्य फसलों पर 25 प्रतिशत एवं दलहनी/तिलहनी फसलों में 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार स्तर से निम्नवत दिया जायेगा:-

क्र0सं0	फसल/प्रजाति	केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान
1	गेहूँ	रूपये 1600.00 प्रतिशत कुंतल अथवा बीज मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो	बीज मूल्य का 25 प्रतिशत
2	चना, मटर एवं मसूर	रूपये 4800.00 प्रति कुंतल अथवा बीज मूल्य का 60 प्रतिशत, जो भी कम हो	बीज मूल्य का 15 प्रतिशत
3	राई/सरसों	रूपये 4200.00 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 60 प्रतिशत, जो भी कम हो	बीज मूल्य का 15 प्रतिशत

(2) रबी 2018-19 में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना अन्तर्गत समस्त फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के अनुदान के साथ 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान (अर्थात कुल 60 प्रतिशत तक का अनुदान) राज्य सरकार स्तर से निम्नवत दिया जायेगा:-

क्र0सं0	फसल/प्रजाति	केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान (निर्धारित धनराशि प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो)	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान(निर्धारित धनराशि प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो)
1	गेहूँ		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10 वर्ष से कम अवधि	2000	600
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1000	300
2	जौ		
	10 वर्ष से कम अवधि	3000	400
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500	200
3	दलहनी फसलें-रबी		
	10 वर्ष से कम अवधि	5000	2000
	10 वर्ष से अधिक अवधि	2500	1000
4	तिलहनी फसलें-रबी		
	15 वर्ष तक अवधि	4000	1500

(3) शासनादेश दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रबी 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरित बीजों तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

5. रबी 2018-19 में बीज ग्राम योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात धान्य फसलों में 25 प्रतिशत व दलहनी एवं तिलहनी फसलों में 15 प्रतिशत (अर्थात कुल अनुदान 75 प्रतिशत की सीमा तक) एवं समस्त फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के अनुदान के साथ राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर अनुमानित वित्तीय आवश्यकता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना	
	बीज वितरण के अनुमानित भौतिक लक्ष्य (लाख कुं0)	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान की अनुमानित धनराशि (लाख रू0)
केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत प्रदर्शनों में (बीज ग्राम योजना छोडकर)	0.86	-
बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों के माध्यम से बीज उत्पादन	1.53	1255.00
केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत सामान्य बीज वितरण पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनुदान	3.88	1458.00
राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सामान्य बीज वितरण 60 प्रतिशत अनुदान	2.08	4137.00
कुल योग	8.35	6850.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एक कृषक को अधिकतम 2.00 हे0 क्षेत्र हेतु प्रमाणित/संकर बीज पर विशेष अनुदान देय होगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों को देय विशेष अनुदान उनके बैंक खाते में डायरेक्टर बेनीफिट ट्रान्फपर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में बीज ग्राम योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात धान्य फसलों में 25 प्रतिशत व दलहनी एवं तिलहनी फसलों में 15 प्रतिशत (अर्थात कुल अनुदान 75 प्रतिशत की सीमा तक) एवं समस्त फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के अनुदान के साथ राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप आंकलित अतिरिक्त व्यय भार रूपये 6850.00 लाख को "प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना" एवं "संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि की बचतों से वहन किया जायेगा।

7. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:42/2018/3286/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, कृभको द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, आई0एफ0एफ0डी0सी0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।